संक्षिप्त

आज व कल बिजली बंद रहेगी

श्रीमाधोपुर, (निसं)। अजमेर विद्युत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी ने बताया कि दीपावली मेंटेनेंस के कार्य करने के लिए सोमवार व मंगलवार को सुबह 6 से 10 तक तींजा वाला जीएसएस से, हॉस्पिटल फीडर में एमजी कॉलेज मीनू का मोहल्ला, इंदिरा विश्रामगृह, महावीर दल, बावड़ी आश्रम, बाईपास कृष्णा होटल, डेरारामसागर व मऊ जीएसएस से मऊ सिटी व इनके आसपास की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। शहर फीडर इंचार्ज लक्ष्मीकांत कुमावत के अनुसार दीपावली मेंटेनेंस अति आवश्यक होने के कारण होने वाली विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए विभाग को बहुत खेद है।

प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

लालसोट/रामगढ़/पचवारा, (निसं)। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उनको सही प्लेटफार्म देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल लालसोट एवं रामगढ़ पचवारा में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा द्वारा किया जाएगा। रामगढ़ पचवारा एवं लालसोट में कुल खेल प्रतियोगिता में 262 टीमें भाग लेगी। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन रक्षा मिश्र एवं पंचायत समिति लालसोट के प्रधान एडवोकेट नाथू लाल मीणा रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति के प्रधान कौशल्या मीणा, उप प्रधान कैलाश प्रसाद दुसाद, उप प्रधान सूरज कटारा आदि भी मौजूद रहेंगे।

आम सूचना दिनांक-11/9/2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती फरीदा बानो पत्नी श्री असलम अली, आयु 41 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर-415, गुलजार कॉलोनी, पाड़ा मण्डी के पास, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर (राजस्थान) ने अपनी पुत्री नीशा को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। मेरी अभिभाष्या की पुत्री नीशा आये दिन मेरी अभिभाष्या से लड़ाई-झगड़ा करती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है एवं हैरान परेशान करती है एवं नशा करती है एवं मेरी अभिभाष्या के कहने में नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि नीशा से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार, लेन-देन करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मेरी अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
जयपुर (पी.एम. खान) एडवोकेट

मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र में लंपी संक्रमित गौवंश की मौत के आंकड़े में सुधार होने लगा

मालपुरा, (निसं)। गौवंश में तीव्र गति से फैलते लम्पी संक्रमण की रोकथाम को लेकर उपखण्ड प्रशासन व पशु चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही जी तोड मेहनत व प्रयासों से अब मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र में संक्रमित गौवंश की मौत के आंकडे में सुधार होने लगा है। एसडीएम रामकुमार वर्मा व पशु चिकित्सा नोडल प्रभारी डॉ. अनिल परतानी ने टीम के साथ आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों पर बनाये गये आईसोलेशन सेन्टरों का निरीक्षण कर विभागीय कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिये।

साथ ही गांव में पशुपालकों के बाडों में पहुंच संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से अलग बाडे में रखे जाने एवं आयुर्वेदिक पद्धति के साथ चिकित्सकीय सलाह व उपचार करने के निर्देश दिये। रविवार को पंचायत समिति के सभागार में लम्पी रोग की रोकथाम व बचाव को लेकर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. अशोक कुमार पाण्डेय की

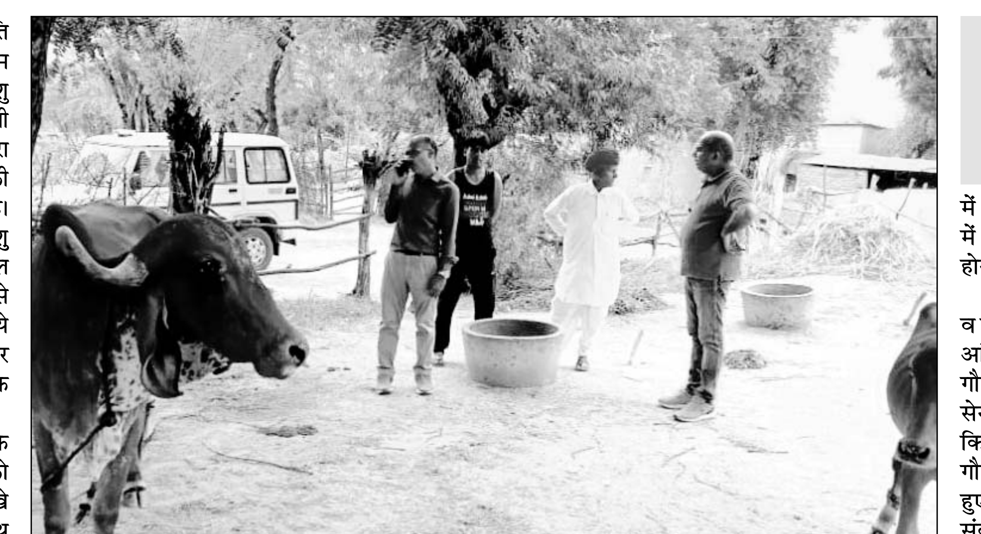

एसडीएम आरके वर्मा व नोडल प्रभारी अनिल परतानी ने आईसोलेशन सेन्टरों का निरीक्षण किया

अध्यक्षता में उपखण्ड क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों व पशुधन सहायकों की बैठक आयोजित की गई। नोडल प्रभारी डॉ. परतानी व तहसीलदार सहदेश मंडा ने संक्रमण से गौवंश को बचाने के लिए पशुधन सहायकों को मुस्तैद रहकर कार्य करने की बात कही। डॉ. परतानी ने बैठक में बताया कि रविवार तक के आंकडों

■ **प्रशासन व पशु चिकित्सा विभाग के प्रयासों से हो रहा सुधार**

में मालपुरा शहर सहित ग्रामीण क्षैत्रों में 3884 गौवंश संक्रमण से प्रभावित होना चिन्हित किया गया है।

तो संक्रमण के अत्यधिक प्रभाव व दबाव से 445 गौवंश की मौत का आंकडा सामने आया है। वहीं 2060 गौवंश का उपचार आईसोलेशन सेन्टरो सहित घर-घर पहुंचकर किया जा रहा है। तो 1273 संक्रमित गौवंश संक्रमण के प्रभाव से मुक्त हुए है। संयुक्त निदेशक ने लम्पी संक्रमण से खाली हो रहे पशुपालकों के बाडों एवं छीन रही पशुपालकों की आजीविका पर चिन्ता जाहिर करते हुए बैजुबान गाय को विशेष रूप से लावारिस छोडी गई। गाय व गौवंश को त्वरित उपचार दिये जाने पर जोर दिया।

सार-समाचार

आज व कल बिजली बंद रहेगी

श्रीमाधोपुर, (निसं)। अजमेर विद्युत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी ने बताया कि दीपावली मेंटेनेंस के कार्य करने के लिए सोमवार व मंगलवार को सुबह 6 से 10 तक तींजा वाला जीएसएस से, हॉस्पिटल फीडर में एमजी कॉलेज मीनू का मोहल्ला, इंदिरा विश्रामगृह, महावीर दल, बावड़ी आश्रम, बाईपास कृष्णा होटल, डेरारामसागर व मऊ जीएसएस से मऊ सिटी व इनके आसपास की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। शहर फीडर इंचार्ज लक्ष्मीकांत कुमावत के अनुसार दीपावली मेंटेनेंस अति आवश्यक होने के कारण होने वाली विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए विभाग को बहुत खेद है।

युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस (विधि विभाग) की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदोरिया की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित की गई। विधि विभाग के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट आदित्य प्रताप सिंह नरूका ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में युवा कांग्रेसी विधि विभाग के पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण भाग लेंगे। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता को भी लॉन्च किया गया जिसमें विधानसभा स्तर तक युवा अधिवक्ताओं को युवा कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी व विधानसभा स्तर तक विधि विभाग का गठन किया जाएगा। इस मौके पर पर राष्ट्रीय संयोजक अनिरूद्ध सिंह राघव, प्रदेश को चेयरमेन दिनेश दायमा, प्रदेश संयोजकगण मूलचन्द सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत किशोरपुरा पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा

क्रमांक-ग्रा.प.कि./ई-टेण्डर/2022-23/65 दिनांक-8/9/2022

ई-निविदा सूचना 01/2022-23

ग्राम पंचायत किशोरपुरा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गाँधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों के निर्माण सामग्री (यथा चूना, पटाव, गर्डर, मुर्रम, ग्रेवल, क्वेरी रविश, ईंट प्रथम श्रेणी, रेत/बजरी, क्रेसर ब्रोकन गिट्टी, पट्टियां, सरिया, वाइंडिंग वायर, सीमेंट, चिनाई एवं खरंजा पत्थर, लोहे दरवाजे व खिडकियां, पानी के टैंकर, प्रथम श्रेणी केशर ग्रिट इण्टरलॉकिंग सीसी ब्लाक विद्युत फीटिंग एवं किराये पर डीजल रोड रोलर, मिक्सर मशीन, वाइब्रेटर प्लेट व निडल एवं समस्त निर्माण सामग्री जी शिड्यूल के अनुसार) की आवश्यकता संभावित है। कार्यों के लिए उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत होना आवश्यक है। इच्छुक पंजीकृत फर्मो/संवेदकों से दिनांक 31.03.2023 तक के लिए दर अनुबंध हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके NIB No. PSL2223A0047 व UBN No. PSL2223WSRC00049 है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर download कर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा पं.स.लालसोट — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किशोरपुरा पं.स.लालसोट

मारपीट मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

फुलेरा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के द्वारा इनामी अपराधियों बगैर तफ्तीश प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू दिनेश शर्मा के निर्देशन एवं वृताधिकारी सांभरलेक लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में थानाधिकारी रघुवीर सिंह के द्वारा फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की एक टीम गठित की गई।

जिसमें सहायक उप निरीक्षक रामसहाय, भंवरलाल, इन्द्रजीत सिंह, सुजीत कुमार, श्रवण कुमार, नारायण लाल, रामदेव, मुकेश कुमार, अजय कुमार को शामिल किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पालिका पार्षद के साथ मारपीट करने के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि फुलेरा निवासी श्रवण लाल वर्मा ने थाने पर मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि फुलेरा नगर पालिका में मेरे साथ मारपीट करने के साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरन्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सिन्टू उर्फ सुनील कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी शिव मन्दिर के पास आकाश्या टीबा फुलेरा, ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र भागचन्द गुर्जर निवासी बाघपुरा थाना क्षेत्र नरैना, मदन लाल पुत्र भंवर लाल जाट निवासी डूडियो की ढाणी त्योद थानाक्षेत्र सांभरलेक को बान्दर सिन्दरी जिला अजमेर से वारदात के मात्र 24 में ही गिरफ्तार किया है।

उपखंड पावटा सहित आसपास में लंपी रोग पांव पसार रहा

पावटा, (निसं)। उपखंड पावटा सहित आसपास के क्षेत्र में गोवंश में तेजी से फेल रहा लंपी स्किन डिजीज धीरे-धीरे अब अपने पांव पसार रहा है। पावटा सहित आसपास क्षेत्र में सैकडों गोवंश लंपी स्किन डिजीज का शिकार हो रहा है।

सरकार व स्थानीय प्रशासन की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक दवा व अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने के कारण गायों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। गौशालाओं की गायों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। गौशाला संचालक गोवंश में तेजी से फैल रहे इस बीमारी से परेशान है। गौशाला संचालक एवं गौशाला

■ **स्वयं कर रहे गोवंश को बचाने का प्रयास**

समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बिना सरकारी सहायता के अपने स्तर पर ही इस भयानक संक्रामक बीमारी के रोकथाम का प्रयास करने में जुटे हैं। देसी नुस्खों के सहारे गोवंश को इस बीमारी से बचाने में लगे है। गौशाला संचालको ने गौशाला की गायों को इस भयानक संक्रमक बीमारी से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा, संसाधन व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि इस बीमारी से गोवंश को बचाया जा सके। पावटा व आस पास के क्षेत्रों में स्थित गौशाला में गोवंश को लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण से बचाने के लिए गोशाला में सैनिटाइजर का छिडकाव की भी मांग की है। वही गौ सेवको ने बताया कि पावटा श्री कृष्ण गौशाला में लंपी स्किन डिजीज से पीडित हैं जिन्हें अन्य गायों से अलग रखकर उनकी देखभाल की जा रही है। अन्य गायों में यह बीमारी न फैले इसके लिए गौशाला में समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से नीम, कपूर, लड्डू आदि अन्य देसी नुस्खों का उपयोग किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन-रात गौ सेवा में लगे हुए हैं।

ऋण वसूली प्राधीकरण

पहली मंजिल, सुधर्मा ।।, लाल कोठी शापिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर-302015

केस नं. ओए/547/2022

एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन ईएक्सएच नं. 5756

आईडीएफसी बैंक लि.
बनाम
सुपर किंग्स टायर एजेन्सी

प्रेषित,
(1) सुपर किंग्स टायर एजेन्सी
प्लाट नं. 9, राम नगर कॉलोनी, वनस्थली मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302001
(2) अमरजीत सिंह बिन्द्रा
प्लाट नं. 9, राम नगर कॉलोनी, वनस्थली मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302001
(3) कुलविन्दर सिंह बिन्द्रा
प्लाट नं. 9, राम नगर कॉलोनी, वनस्थली मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302001
(4) विक्रम जीत सिंह बिन्द्रा
प्लाट नं. 9, राम नगर कॉलोनी, वनस्थली मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302001

सम्मन

जैसा कि, ओए/547/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रू. 3100087/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के सैक्शन 19(4) के तहत दायर अकत आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुवाद निर्देशित किया जाता है-
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पतियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवायी तथा निस्तारण के लम्बित रहते सिक्योर्ड सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा बिक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सिक्योर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्योर्ड परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों बिक्री के लिये तथा ऐसी बिक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सिक्योर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा कराने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 11.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथी 01.07.2022 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

ऋण वसूली प्राधीकरण

पहली मंजिल, सुधर्मा ।।, लाल कोठी शापिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर-302015

केस नं. ओए/587/2021

एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन ईएक्सएच नं. 5850

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
बनाम
मोदी एसोसिएट्स

प्रेषित,
(1) गायत्री मोदी
पत्नी अनिल मोदी, निवासी 35, हिम्मत नगर, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान-302018

सम्मन

जैसा कि, ओए/587/2021 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रू. 2100161/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के सैक्शन 19(4) के तहत दायर अकत आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुवाद निर्देशित किया जाता है-
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पतियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवायी तथा निस्तारण के लम्बित रहते सिक्योर्ड सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा बिक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सिक्योर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्योर्ड परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों बिक्री के लिये तथा ऐसी बिक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सिक्योर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा कराने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 06.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथी 07.07.2022 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत

■ **हादसे में 5 महिलाओं सहित 10 यात्री घायल**
■ **पुलिस ने दुर्घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया**

चाकसू, (निसं)। थाना इलाके में नेशनल हाईवे 12 निमोड़िया कट पर सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रॉली हाइवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 5 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी यशवंत सिंह बताया कि सवारियों से भरी बस कोटा से जयपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान नेशनल हाईवे 12 निमोड़िया कट पर रोड पार कर रहे ट्रेक्टर व रोडवेज बस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रॉली भी पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने दुर्घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया।

स्टैंडिंग वारंटी गिरफ्तार

श्रीमाधोपुर, (निसं)। पुलिस थाना के थाना अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, नीमकाथाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव, रींगस के अधिकारी कन्हैयालाल के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर सन 2018 से फरार चल रहे मुलजिम राजेंद्र रैगर उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड 14 मूंडरू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

बजरी व पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की

नारायणपुर, (निसं)। पुलिस व खनन विभाग ने अवैध बजरी व पत्थर से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली को जब्त कर अवैध खनन पर सयुंक्त रूप से कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि दो ट्रैक्टर-ट्रोली बजरी और पत्थर से भरकर आ रहे है। पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को नीमडिया और पत्थर से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली को बीएड कॉलेज खेंटा के पास से पकड़ा। पुलिस ने बजरी व पत्थर लाने के संबंध में उनके पास बिल्टी या कागजात नहीं मिलने पर पुलिस व खनन विभाग द्वारा ट्रैक्टर-ट्रोली को मौके पर जब्त कर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। खनन विभाग जेईएन कीर्ति यादव ने बताया कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली पर करीब 1 लाख 26 हजार 800 रूपये व पत्थर से भरे ट्रैक्टर-ट्रोली पर 26 हजार 7 सौ 60 रूपये का जुर्माना लगाया है।

सब्जी मंडी बड़ोंद से चोरी हुई पिकअप बरामद

बहरोड़/नीमराना, (निसं)। जिला पुलिस भिवाड़ी क्षेत्र के बहरोड़ थाना क्षेत्र से 6 सितंबर को शाम को 7:30 बजे बर्ड़ोद सब्जी मंडी से पिकअप गाड़ी आरजे 18 जीबी 5198 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी जिसकी परिवादी कृष्ण कुमार पुत्र लीलाराम गुर्जर निवासी विशाल उठाना बानसूर जिला अलवर मामला दर्ज कराते हुये बताया था कि उसने 100 नंबर पर फोन करके सूचना दी थी तथा गाड़ी के अंदर 130000 रखे होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गाड़ी को काफी जगह ढूंढने का प्रयास किया पर गाड़ी मालिक को गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला।

बहरोड थाना पुलिस ने चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना जगराम मीणा,

पुलिस ने बड़ोंद सब्जी मंडी से चोरी हुई पिकअप बरामद की।

उप अधीक्षक बहरोड़ आनंद राव के निर्देशन में बहरोड़ थाना अधिकारी वीरेंद्रपाल सिंह के सुपर विजन में सहायक उप निरीक्षक सुरताराम की टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए सब्जी मंडी बर्डोद से पिक अप चोरी के दर्ज मामले में जल्द कार्यवाही करते हुए तलाश करते हुए 10 सितंबर को आलनपुर तिराहा के पास से बरामद किया तथा 1 लाख 30000 रुपये व पिकअप चोरी के आरोपी की तलाश की जा रही है। उक्त प्रकरण में कांस्टेबल मनोज की अहम भूमिका रही।

ऋण वसूली प्राधीकरण

पहली मंजिल, सुधर्मा ।।, लाल कोठी शापिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर-302015

केस नं. ओए/562/2022

एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन ईएक्सएच नं. 5757

आईडीएफसी बैंक लि.
बनाम
न्यू श्री आशापुरी बैंगल्स

प्रेषित,
(1) न्यू श्री आशापुरी बैंगल्स
डी/डब्लू/एस/ओ.-प्रो. नीरज, मकान नं. 259, दुकान-02, जगन्नाथजी के मंदिर के सामने, नाहरगढ रोड, नाहरगढ रोड, जयपुर जीपीओ, जयपुर, राजस्थान-302001
(2) नीरज अग्रवाल
मकान नं. 259, दुकान-02, जगन्नाथजी के मंदिर के सामने, नाहरगढ रोड, जयपुर, नायलागढ़ रोड, जीपीओ, जयपुर, राजस्थान-302001
(3) पूनम अग्रवाल
मकान नं. 259, दुकान-02, जगन्नाथजी के मंदिर के सामने, नाहरगढ रोड जयपुर, नायलागढ़ रोड़, जयपुर, जीपीओ, जयपुर, राजस्थान-302001

सम्मन

जैसा कि, ओए/562/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 15.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रू. 2146197/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के सैक्शन 19(4) के तहत दायर अकत आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एक्ट के सैक्शन 19 के सब सैक्शन (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुवाद निर्देशित किया जाता है-
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पतियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवायी तथा निस्तारण के लम्बित रहते सिक्योर्ड सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा बिक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सिक्योर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्योर्ड परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों बिक्री के लिये तथा ऐसी बिक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सिक्योर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा कराने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 12.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथी 01.07.2022 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

विधायक ने सुनी जनसमस्याएं, समाधान के निर्देश दिए

पावटा, (निसं)। विधायक इंद्राज गुर्जर ने रविवार को भूरी भडाज स्थित अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों की सामूहिक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित हो। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने विधायक इंद्राज गुर्जर से बिजली, सड़क, पानी, बरसाती पानी की निकासी व अन्य समस्याओं से संबंधित लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निदान कराने का अनुरोध किया।

वहीं राजकीय पीजी

विधायक इन्द्राज गुर्जर को मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।

महाविद्यालय छात्रसंघ विराटनगर ने अध्यक्ष विकास खाडिया के नेतृत्व मे एक ज्ञापन सौंप महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि कन्हैयालाल गुरुजी,

■ **'लोगों की सामूहिक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित हो'**

पूरावाला सरपंच महेंद्र रेगर, आंतेला सरपंच जयराम नागर, भीलवाडी पूर्व सरपंच मुरारी सिंधु, विराटनगर नगरपालिका वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव, पार्षद मुखराम गुर्जर, पार्षद नित्यानंद, पार्षद पिंटू किराड, रामपुरा पूर्व सरपंच रामसहाय वर्मा, फारुख मंसूरी सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे।

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3470-71 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-30.08.2022

श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी श्री कन्हैया लाल टेलर, जाति दर्जी, निवासी वार्ड नं.32, कचियागढ स्टेडियम के पास, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.32 अवस्थित भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में कचियागढ आश्रम परिसर, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में प्लाट नं.17 आवास श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री बंशी धर हरिजन का एवं दक्षिण में प्लाट नं.19, आवास श्री फूलचन्द सैनी का होकर स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 50'-4" व उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 28'-2" एवं पश्चिमी भुजा 28'-2" एवं पश्चिमी भुजा 27'-6" होकर कुल रकबा 130.15 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30.08.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3473-74 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-30.08.2022

श्री पवन कुमार कयाल, पुत्र श्री बसन्त लाल कयाल, निवासी-वार्ड सं.21,, सुराणी बाजार के पास, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसयिक+आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 अवस्थित भूखण्ड	चर्तुसीमाएँ सीमाएं उत्तर में दुकान श्री जुगल किशोर मानपुरिया की, दक्षिण में दुकान श्री सन्नी अरोडा पुत्र स्व.श्री कृष्ण कुमार पंजाबी की, पूरब में बाड़ा श्री राजाराम बाहेती का व पश्चिम में आम रास्ता होकर स्थित है।	भूखण्ड व्यावसयिक+आवासीय=मिश्रित प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम उत्तरी भुजा 31'-8" दक्षिणी भुजा 32'-0" उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 30'-0" व पश्चिमी भुजा 29'-1" होकर कुल रकबा 87.34 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30.08.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3479-80 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-30.08.2022

श्री सत्य नारायण शर्मा पुत्र स्व.श्री सीता राम शर्मा, निवासी-वार्ड नं.22, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.22 अवस्थित भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में आवेदक का बाड़ा, उत्तर में श्री कैलाश गोपालका का आवास एवं दक्षिण में 2'-0" की शामिलाती गली व आगे श्री मदन लाल, दीना लाल सैन का आवास स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 60'-10" एवं उत्तर-दक्षिण 34'-3" होकर कुल रकबा 193.56 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30.08.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर